संख्याः 834/ औ0वि0/ 88–ख/2003

प्रेषक,

श्री संजीव चोपडा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

औद्योगिक विकास विभाग देहरादून दिनांकः 07 जनवरी, 2004

विषयः उत्तरांचल राज्य की खनिज सम्पदा के अन्तर्गत मुख्य खनिज सोपस्टोन के प्रोस्पेक्टिंग लाईसैंस एवं खनन् पट्टों को स्वीकृत किये जाने की प्रकिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सोपस्टोन मुख्य खनिज के विकास हित एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखे जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि सोपस्टोन मुख्य खनिज के प्रोस्पेक्टिंग लाईसैंस/खनन् पट्टों को स्वीकृत किये जाने से पूर्व निम्नलिखित प्रकिया का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायः–

1– निजी नाप भूमि में सोपस्टोन खनिज के प्रोस्पेक्टिंग लाईसैंस/खनन् पट्टों की स्वीकृति में निजी नाप भूमि धारको को वरियता दी जाय।

2– सोपस्टोन खनिज के प्रोस्पेक्टिंग लाईसैंस/खनन् पट्टों के क्षेत्रफल को भारत सरकार की अधिसूचना दिनांकः 10 अप्रैल–2003 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित किया जाय। अर्थात खनन् पट्टों हेतु क्षेत्रफल की न्यूनतम् सीमा 1 है0 हो ।

3– खनन् पट्टाधारकों को उनके द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली रायल्टी का 10 प्रतिशत के बराबर की राशि उपयोग, उनके धारित खनन् पट्टा क्षेत्र के विकास एंव उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के जनहित में किया जाय।

4– खनन् तथा खनन् प्रकिया से पर्यावरण पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभाव का ज्ञान रखने वाले उद्यमियों या इस् प्रकार के आवेदकों को प्रोस्पेक्टिंग लाईसैंस/खनन् पट्टा क्षेत्र आवंटन करने में प्राथमिकता दी जाय।

5– भारत सरकार की अधिसूचना 10 अप्रैल–2003 से पूर्व के प्रोस्पेक्टिंग लाईसैंस/खनन् पट्टों के आवेदन पत्रों पर निर्णय भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले दिशा निर्देशों के उपरान्त ही निस्तारित किये जायेंगें।

6– ऐसे क्षेत्र जो अधीसूचना 1893 से प्रभावित है, अर्थात क्षेत्र छोटे–छोटे खण्डों में बट जाते है, उनको नाप एवं बेनाप श्रेणी में पृथक–पृथक कर प्रोस्पेक्टिंग लाईसैंस/खनन् पट्टों हेतु संस्तुत की जाने वाली प्रकिया को समाप्त कर उक्त क्षेत्र को एक सहत खण्ड बनाकर इस शर्त के अधीन प्रस्तावित किया जाये की वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानकीय कार्य हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से आवेदक स्वीकृति प्राप्त करें।

7– बेनाप/वन भूमि पर प्रोस्पेक्टिंग लाईसैंस/खनन् पट्टों हेतु ऐसे उद्यमियों को वरियता दी जाये जो मुख्य खनिज सोपस्टोन पर आधारित उद्योग लगाने की इच्छा एवं अनुभव रखते हो सात ही सात ऐसे प्रस्तावों में यह शर्त भी लगाई जाय कि उक्त क्षेत्र में गैर वानकीय कार्य हेतु भारत सरकार के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त की जाय।

8– खान अधिनियम, 1952 एवं मैटेलीफरेस माइन्स रेगूलेशन 1961 के अन्तर्गत खानों की सुरक्षा का दायित्व, माईन्स मैनेजर के द्वारा कराया जाय, साथ ही साथ भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के वरिष्ठ खान अधिकारी/ खान अधिकारी/ खान निरीक्षक के संरक्षण में खानों की सुरक्षा एवं खनन् पट्टों का सम्प्रेषण किया जाय।

9– खनिज के खनन् के उपरांत खनन पिट्टों (गडढ़े) को लाईसैंस धारक/पट्टा धारक से भरवाकर समतल कराया जायेगा।

10– पल्पलाईजर और खनिज भण्डार कर्त्ताओं को खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम की धारा–23 सी के अन्तर्गत लाते हुये उनके द्वारा खनिज के श्रेणीवार विकय मूल्य पर 4 प्रतिशत धनराशि खनन् विकास हेतु निर्धारित की जाय।

कृपया उपरोक्त उल्लखित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजीव चोपडा)
सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्याः 834/ औ0वि0/ 88–ख/2003, तद्दिनांक :–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर निदेशक/प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2– क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों नेहरू नगर, देहरादून।
3– नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्द्रानगर, देहरादून।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमाकान्त पंवार)
अपर सचिव।